सं. क्यू-14018/100/2014-डीडब्ल्यूएस (सांख्यिकी)
भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

नवाँ तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक 01 जुलाई, 2014

सेवा में,
प्रधान सचिव/सचिव
ग्रामीण जलापूर्ति के प्रभारी

विषय : **आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के लिए प्रस्तावित बीस सूत्री लक्ष्य।**

महोदय/महोदया,

वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में मंत्रालय राज्यों द्वारा बीस सूत्री कार्यक्रम लक्ष्यों के रूप में लक्ष्यबद्ध आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों और गुणवत्ता प्रभावित बसावटों का लक्ष्य निर्धारित करता है। यही सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार को सूचित किया गया है। यही आँकड़े पीएमओ संदर्भों और संसद प्रश्नों के उत्तर में उल्लिखित किए गए हैं और विभिन्न स्तरों पर इनकी निगरानी की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आपके राज्य के लिए निर्धारित प्रस्तावित 20 सूत्री लक्ष्य नीचे उल्लिखित है। यह अनुरोध है कि आपके स्तर पर तत्काल इसकी पुष्टि की जाए। यदि किसी राज्य को प्रस्तावित लक्ष्यों के विषय में कोई मतभेद हो तो वे तुरंत इस मामले को अधोहस्ताक्षरी को फैक्स (011-24364112) अथवा ईमेल द्वारा (sandhya.singh@nic.in) दिनांक 04.07.2014 को पूर्वाह्न 05 बजे तक अवश्य भेज दें।

आंध्र प्रदेश(शेष) तथा तेलंगाना के लिए वर्ष 2014-15 हेतु एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत बीस सूत्री कार्यक्रम (टीपीपी) के लक्ष्य				
क्र.सं.	**राज्य**	**आबंटित आंशिक रूप से कवर किए गए (पीसी) टीपीपी लक्ष्य**	**आबंटित गुणवत्ता प्रभावित (क्यूए) टीपीपी लक्ष्य**	**कुल**
क.	आंध्र प्रदेश (शेष)	3155	356	3511
ख.	तेलंगाना	2139	241	2380

3. यदि निर्धारित समय पर राज्य द्वारा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह माना जाएगा कि राज्य प्रस्तावित लक्ष्यों से सहमत हैं और उसे अंतिम माना जाएगा और उसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन और साथ ही साथ पीएमओ को सूचित किया जाएगा।

भवदीय,

(संध्या सिंह)
संयुक्त निदेशक (एमएंडई)

सेवा में,
1. संबद्ध राज्यों के प्रधान सचिव/सचिव
2. संयुक्त सचिव (जल) के पीएस
3. तकनीकी निदेशक (एनआईसी) मंत्रालय की वैबसाईट पर डालने हेतु।